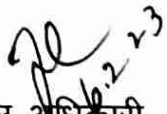


आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
06.02.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
14.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन की भौग करें। अभिलेख दिनांक 21.02.2023 को शुरू।  अंचल अधिकारी मनातू।	

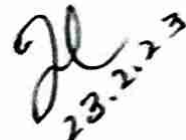
अमिलेख अपस्थापित।

23.02.2023

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। कि मौजा रहेगा, थाना सं० 345 खाता सं० A1, प्लॉट सं० 10/1 रकबा 1.50 ए० है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 55/II पर कुदूस सिद्दीक के नाम से मांग कायम है।

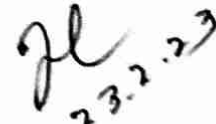
अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


23.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।


23.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनसू, पलाय ।

विषय:- संदिग्ध / संदेहस्पद जमाबंदी केस नं० 120/2016-17
से संबंधित जॉय प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रमाण,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदन करना है कि
संदिग्ध / संदेहस्पद जमाबंदी केस नं०- 120/2016-17 के संबंध
में जाँचीपराय जाया कि मौजा- रहेया के मॉग पंजी-II
के पीज नं०- 55/II पर मॉगचारी कुटुंब के मिश्री मिश्री- 540
रसूल मिश्री के नाम से मॉग काफ़ है। ऑफलाइन मॉग
पंजी-II के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

मौजा	उपाता	खेती	रकबा	पेज नं०	परिवर्तन के लिए अधिकार
रहेया	41	10/1	1.50	55/II	Settlement case NO- 180/02-03

उपर्युक्त वर्णित भूमि का खजाना लगान रसीद संख्या- 4999701
दिनांक - 22/5/11 दर्ज है। मॉगचारी रेंगर से भूमि बंदोबस्ती
से संबंधित दस्तावेज की मॉग की गई, जिसमें कि बड़े
द्वारा भूमि बंदोबस्ती से संबंधित नकल की दायराप्रति,
लगान रसीद की दायराप्रति, बंदोबस्ती पर्चा का दायराप्रति
उपलब्ध करायी गई है, जो कि साथ में संलग्न है।
अंचल अमीन से उपलब्ध कब्जा के संबंध जॉय प्रतिवेदन
की मॉग की जा सकती है।

मॉगचारी रेंगर द्वारा प्रयत्न दस्तावेज, मॉग पंजी-II में
दर्ज मॉग एवं बिना रसीद के आचार पर यह मामला
संदिग्ध / संदेहस्पद स्तर नहीं होगा है।

अतः जॉय प्रतिवेदन अमीन कार्रवाई हेतु सादर
सुपारि।

17/02/23
R.S. + 01

विश्वासभाजन
अनिल कुमार खन्ना
राजस्थान अतिरीक्षक
हलाका - III

सेवा में,
श्री मान् अंचल अधिकारी
मनारु, पलामू।

विषय: संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं. 120/2016-17 संदिग्ध
-ल संबंधित जांच प्रलिवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,
संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं. 120/2016-17 संदिग्ध
जांच हेतु, ग्राम - रूहेया बाना-मनारु, बाना नम्बर- 345 अन्दर
खाना पा। प्लॉट नं. 10/1 रकबा 1.50 स्क. भूमि पर जाकर देखा
गया जांचा। जांचोपरान्त प्रलिवेदी है कि बन्दोखरधारी भूमि
पर दख्खार है। स्पं बन्दोखरधारी केस नं. - 130/2002-03 से बन्दोखर-
धारी की भूमि प्राप्त है।

अतः आवश्यक कार्रवाई हेतु जांच प्रलिवेदन
सादर समर्पित है।

विश्वासभाजन



अंचल अधिकारी
मनारु

13/02/23